## <u>महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र)</u> <u>OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I)</u> <u>KERALA, THIRUVANANTHAPURAM</u> (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण-11/2/2025-26/ No.Au/Trg/11-2/2025-26/

दिनांक: 20 जून 2025 Date: 20 June 2025

## <u>अनुभागीयआदेशसं.103/ SECTIONAL ORDER NO.103</u>

इस कार्यालय की सुश्री मनीषा वर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी II और सुश्री भावना सोनी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(वाणिज्य)/एएमजी III को 'राज्य सरकार के खातों की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया है, जो 23.06.2025 से 27.06.2025 तक आरसीबीकेआई, चेन्नई में आयोजित किया जाना है।

Ms. Manisha Verma, AAO/AMG II and Ms. Bhavana Soni, AAO(C)/AMG III of this office are nominated for the training programme on 'Financial Attest Audit of State Government Accounts" scheduled to be conducted from 23.06.2025 to 27.06.2025 at RCBKI, Chennai.

प्रतिभागी अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participants may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The officials are also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months from the last day of Training.

संबंधित मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण के संबंध में पहले ही सूचित कर दिया जाए। Headquarters concerned may ensure that the nominated officials are informed regarding the training in advance.

(महालेखाकार के दिनांक 20 जून 2025 के आदेशानुसार)

20.06.2025

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि:-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक़ .प.ले)-I)/(ले.पII)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए